

आदेश की  
क्रम सं०  
एवं तिथि

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की  
गई कार्रवाई के  
बारे में टिप्पणी  
तारीख के साथ

1

2

3

न्यायालय अपर समाहर्ता, खगड़िया

दाखिल खारिज रिभिजन वाद सं०-13/2020

महेन्द्र पंडित वगैरह.....वादी

बनाम्

मो० अफरोज वगैरह.....प्रतिवादी

27/8/21

आदेश

प्रस्तुत दाखिल खारिज पुनरीक्षण वाद दाखिल खारिज अपील सं० 87/19-20 में पारित आदेश दिनांक-26.08.20 के विरुद्ध दायर किया गया है। प्रस्तुत वाद में प्रश्नगत भूमि का विवरण निम्नवत् है :-

मौजा	खाता	खेसरा	रकवा
जलकौड़ा	138	235	0.08 डी०

पुनरीक्षणकर्ता का कथन है कि मौजा-जलकौड़ा में खाता 138 खेसरा 235 के रकवा 0-1-12 धुर भूमि के खतियानी रैयत बहादुर अली एवं नेजावत अली थे। प्रश्नगत खेसरा 235 में आधा रकवा अर्थात् 16 धुर के स्वामी नेजावत अली तथा 16 धुर के स्वामी बहादुर अली थे। जमींदारी उन्मूलन के समय उपरोक्त 1 कट्टा 12 धुर के लिए जमाबंदी सं० 7 नेजावत अली के पुत्रों क्रमशः मो० हसन, मो० मुस्लीम, आरीफ हुसैन एवं आबीद हुसैन तथा बहादुर अली के पुत्रों मो० इश्हाक, समसुल होदा एवं नूर होदा के नाम से गठित हुआ। नेजावत अली एवं बहादुर अली के वारिसान के बीच आपसी बंटवारा के उपरान्त दोनों के वंशज 16-16 धुर भूमि पर दखलकार हुए। वर्ष 1957-58 में बहादुर अली के हिस्से की 16 धुर भूमि में से 13½ धुर भूमि का अर्जन बिहार सरकार द्वारा खगड़िया बखरी पथ के लिए किया गया तथा बहादुर अली के वारिसान समसुल होदा मुआवजा राशि प्राप्त किये। इस भू-अर्जन के पश्चात् बहादुर अली के वारिसानों को खेसरा 235 में केवल 2½ धुर जमीन बच गयी। आवेदक सं० 2 नौसाद आलम स्वयं बहादुर अली के वंशज है। आवेदक सं० 2 ने नेजावत अली के हिस्से वाली जमीन 16 धुर में से 7½ धुर भूमि निबंधित केवाला द्वारा क्रय किये। पुनः आवेदक सं० 2 ने बहादुर अली के वारिसानों से निबंधित केवाला दिनांक- 26.05.17 द्वारा बहादुर अली के हिस्से वाली बची हुई खेसरा की 235



आदेश की क्रम सं० एवं तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3
	<p>का 2½ भूमि क्रय कर लिये। इस प्रकार बहादुर अली के वारिसानों के पास मात्र 5 धुरकी जमीन बच गयी। परन्तु बहादुर अली के वारिसानों ने अवैध रूप से दिनांक- 20.06.20 से खेसरा 235 का 14½ धुर जमीन विपक्षी सं० 1 को 4 धुर जमीन विपक्षी सं० 2 को बिक्री कर दिये। जिसके परिणाम स्वरूप विपक्षीगण को खेसरा 235 पर स्वामित्व या दखल प्राप्त नहीं हुआ।</p> <p>पुनरीक्षणकर्ता का आगे कथन है कि पुनरीक्षणकर्ता 1 ने पुनरीक्षणकर्ता 2 द्वारा खरीदी गयी उपरोक्त वर्णित 7½ धुर में से 4 धुर भूमि निबंधित केवाला द्वारा दिनांक 11.05.17 से क्रय किया और उक्त भूमि पर दखलकार होकर अंचल अधिकारी, खगड़िया के समक्ष दाखिल खारिज वाद सं० 2210R-27/18-19 दाखिल किये जिसे अंचल अधिकारी, खगड़िया द्वारा स्वीकृत किया गया। अंचल अधिकारी के स्वीकृति आदेश के विरुद्ध विपक्षीगण दाखिल खारिज अपील सं० 87/19-20 भूमि सुधार उप समाहर्ता, खगड़िया के समक्ष दायर किये। जिसे निम्न न्यायालय द्वारा स्वीकृत करते हुए अंचल अधिकारी, खगड़िया द्वारा दाखिल खारिज वाद सं० 2210R-27/18-19 में पारित आदेश को निरस्त कर दिये। तब पुनरीक्षणकर्ता को उपरोक्त वर्णित आधार पर दाखिल खारिज अपील सं० 87/19-20 में पारित आदेश दिनांक-26.08.20 के विरुद्ध यह पुनरीक्षण वाद दाखिल किया है। पुनरीक्षणकर्ता अपने कथन के समर्थन में निम्नांकित दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये हैं :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. दाखिल खारिज अपील वाद सं० 87/19-20 में पारित आदेश की प्रति।</li> <li>2. खतियान की प्रति।</li> <li>3. एप्लीकेशन फॉर इन्फोरमेशन दिनांक-02.08.18 की प्रति।</li> <li>4. वंशावली उप सरपंच ग्राम कचहरी, जलकौड़ा की प्रति।</li> <li>5. केवाला दिनांक-17.08.16, 06.06.16, 20.03.17 एवं 26.05.17 की प्रति।</li> <li>6. केवाला दिनांक-11.05.17 की प्रति।</li> <li>7. भू-अर्जन की विवरणी</li> <li>8. दाखिल खारिज वाद 9/21 एवं 10/21 में पारित आदेश की प्रति।</li> </ol> <p>विपक्षी वकालतन उपस्थित होकर अपना आपत्ति पत्र दाखिल किये जिसमें कथन किया है कि प्रश्नगत खाता खेसरा का रकवा 1 कट्टा 12 धुर था जिसमें से भू-अर्जन वाद सं० 123/57-58 द्वारा 13½ धुर भूमि अर्जित की गयी जिसका मुआवजा समसुल होदा एवं नेजावत अली के वंशजों ने प्राप्त किया। इस प्रकार खेसरा 235 में रकवा 18½ धुर जमीन बच गयी। जो समसुल होदा के हिस्से में मिला।</p> <p>विपक्षी का आगे कथन है कि नेजावत अली एवं बहादुर अली के वारिसानों के द्वारा पुनरीक्षणकर्ता के निष्पादित केवाला नाम नेहादी है। विपक्षी</p>	



आदेश की क्रम सं० एवं तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3
	<p>अंकित करते हैं कि विपक्षी सं० 1 ने दिनांक-20.06.19 को खेसरा 235 की 14½ धुर भूमि एवं विपक्षी 2 ने 4 धुर जीन खरीदा। जिसपर उनका दखल चला आ रहा है। पुनरीक्षणकर्ता ने दाखिल खारिज 2210R-27/18-19 दायर कर अपना नाम से नामान्तरण करा लिये इसके विरुद्ध विपक्षी ने दाखिल खारिज अपील वाद सं० 87/19-20 दायर किये। जिसे निम्न न्यायालय दिनांक-26.08.2020 को स्वीकृत किये। विपक्षी अंकित करते हैं कि निम्न न्यायालय का आदेश सही है।</p> <p>अतः उपरोक्त वर्णित आधारों पर विपक्षी द्वारा पुनरीक्षण वाद खारिज करने की प्रार्थना किये है। विपक्षी ने अपने कथन में निम्नांकित दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये हैं :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. दिनांक-20.06.19 के केवाला की प्रति।</li> <li>2. भू-अर्जन की विवरणी की प्रति।</li> </ol> <p>उभय पक्षों के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं दलील से स्पष्ट है कि प्रश्नगत एराजी पञ्चवारिक सम्पत्ति थी जिसका बंटवारा हुआ है और बंटवारा पश्चात पक्षकारगण जो एक ही परिवार के हैं भूमि खरीद बिक्री किये हैं। किन्तु अलग-अलग जमाबंदी नहीं बनायी गयी है। ऐसी स्थिति में दखल कब्जा की स्थिति समय के साथ अस्पष्ट हो जाती है और आपसी खरीद बिक्री के वजह से किसी भूखंड का वैधिक स्वत्वाधिकार का प्रश्न अत्यंत ही जटिल हो जाता है। जिसके निर्धारण के खातिर राजस्व न्यायालय सक्षम नहीं है।</p> <p>पुनरीक्षणकर्ता के द्वारा भी निम्न न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता, खगड़िया के पारित आदेश के विरुद्ध ऐसा कोई स्पष्ट पुनरीक्षण का बिन्दु अंकित नहीं किया गया है जिसपर विचारण किया जा सके। इसलिए कोई आदेश पारित किया जाना तर्क संगत प्रतीत नहीं होता है।</p> <p>अतः प्रस्तुत दाखिल खारिज पुनरीक्षण वाद को खारिज किया जाता है। यदि पक्षकारगण असंतुष्ट हो तो इसे सक्षम प्राधिकार सिविल न्यायालय के समक्ष रख सकते हैं। इसी के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।</p> <p>निम्न न्यायालय का अभिलेख वापस भेजे।</p> <p>लेखापति एवं संशोधित</p> <p>अपर समाहर्ता, खगड़िया।</p> <p>अपर समाहर्ता, खगड़िया।</p>	

उपरोक्त आदेश दिनांक 28/10/21  
 प्रतिलिपि- श्रीमते दुष्यांत उर्फ (माहली) (काठिया) को  
 670 (पुनः अर्जन) 076 (608) / 19-20 मूल केमिपे 19  
 670 का आदेश के विरुद्ध अपील के पत्र के पत्र  
 C. (काठिया) का केमिपे 19 पर अर्जन हुआ है